International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 5, May - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

बाल अपराध से बिगड़ता बचपन भटकता राश्ट्र

जकील अहमद
शोधार्थी, श्रीवेंकेटेश्वर विश्वविद्यालय,
गजरौला, अमरोहा, यू0पी0

डा० अनीता जयशवाल
शोध निदेर्शिका

बाल अपराध की अवधारणा :–

इधर कई दशको से बाल अपराधी पवृत्ति और उसके असमाजिक व्यवहार की घटनाओं मे लगातार बढोत्तरी हुई है। दैनिक समाचार पत्रों मे बाल अपराधयिकता से जुडे विविध परकार के कार्यों एवं घटनाओं को पढ़ा जा सकता है। आज लाखों युवक दिग भ्रमित है, अपने असामाजिक व्यवहार से वे अपने जीवन को नष्ट कर रहे है। बाल अपराधिता आज विश्व व्यापी समस्या बन गई है। इस समस्या को लेकर अभिभावक, शिक्षक, मनोवैज्ञनिक और सामाजिक कार्यकर्ता सभी चिन्तित है। सामाजिक खुशहाली के लिये युवा पीढी के सजाना, संवाराना और सही दिशा निर्देश देना हम सभी का उत्तरदायित्व है।

अपचार कदाचार आदि शब्दो का प्रयोग बाल अपराध के सही सन्दर्भ मे किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि बाल प्रश्न उठता है कि बाल अपराध किसे कहते है? सामान्यतः बालक को समाज विरोधी कार्य एवं व्यवहार को बाल अपराध की संज्ञा दी जाती है। परन्तु यह भी सत्य है कि बालक स्वाभ से चंचल होता है, अतः जाने अनजाने सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं वैधानिक नियमों के विरूद्ध कार्य करता है परन्तु यह चंचलता जब कुमार्ग की ओर मुडती है और उसका व्यवहार अवांछनीय होता है, तब उसे बाल अपराधी करार दिया जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक समाज के अपने नियम और कानून होते है, जब बालक अपने सामाजिक नियमों, मान्याताओं और मूल्यों के विपरीत व्यवहार करता है अथवा सार्वजनिक नियमों को तोडता है, तो उसके इस प्रकार के व्यवहार को कदाचार, अपचार या बाल अपराध कहा जाता है। सामन्यतः बाल अपराध एक निश्चित आयु –18 वर्ष से कम आयु– के नीचे व्यक्ति द्वारा किया गया किसी नियम या कानून का उल्लघंन है यदि विधिक दृष्टि से कदाचार या बाल अपराध की व्याख्या की जाये तो यह उजागर होता है कि राज्य ने बालकों के लिए जिन व्यवहारों का किया जाना कानून द्वारा निषिद्ध किया हो, बालको द्वारा उन्हीं व्यवहारों को किया जाना बाल अपराध है। वैसे तो प्रत्येक बालक के व्यवहार मे चंचलता, हठवादिता और शैतानी का होना अवश्य होता है, परन्तु उनका यह व्यवहार जब निर्धारित मानदण्डों को लाघने लगता है, तब उसे बाल अपराधी की संज्ञा दी जाती है।

एस0 चन्द्रा के अनुसार :– ''यह शैतानी जब एक ऐसी आदत के रूप में विकसित हो जाती है जो कि समाज द्वारा प्रतिष्ठित व्यवहार–प्रतिमान की सीमाओं को पार कर जाती है और उससे जो व्यवहार उभर कर आता है उसे ही बाल–अपराध कहा जाता है।''

हीली के अनुसार :– ''वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नही करता वह बाल अपराधी कहा जाता है।'' अमरीका की **राश्ट्रीय** परिवीक्षा समिती ने बाल–अपराधी ऐसे व्यक्ति को कहा है जो

1. राज्य के कानून आर्डिनेन्स या राज्य के उपखण्ड की अवहेलना करता है।
2. जो आदतन आज्ञाओं को न मानने वाला हो और अपने माता–पिता और संरक्षक के नियत्रंण में न हो।
3. जो स्कूल एवं घर से भागने का आदी हो।
4. जो स्वयंम की और दूसरों की नैतिकता एवं स्वास्थ्य को हानि पहुॅचाता हो।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 5, May - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

अपराध और बाल अपराध मे अन्तर :– अपराध और बाल अपराध दोनों मे ही समाज और राज्य के प्रचलित नियमों का उल्लघंन होता है। दोनो कानून द्वारा निषिद्ध एवं समाज विरोधी कार्य है, फिर भी दोनो मे अन्तर है। बाल–अपराध पूर्ण अपराध नही है, परन्तु यदि उसे प्रारम्भ मे ही न रोका गया तो एक दिन वह अपराध का रूप ले लेता है। कहने का अभिप्राय यह है कि बाल–अपराध, पूर्ण अपराध की एक सीढ़ी है, परन्तु यह आवश्यक नही है कि अपराधी पहले बाल अपराधी रहा है।

1. बाल–अपराध और अपराध मे अन्तर का केन्द्र बिन्दु आयु मानी जाती है। बाल–अपराध एक निश्चित आयु सीमा **7 से 18 वर्श** के अन्तर्गत आने वाले बालक होते है, जबकि अपराधी युवा या प्रौढ़ व्यक्ति होते है, जिनकी आयु सीमा सामान्यतः 18 वर्ष से **उपर** मानी गई है। परन्तु गिलिन और गिलिन महोदय का कहना है कि अपराधी और बाल अपराध के मध्य आयु का अन्तर काम चलाने के लिए है, अधिक दूर तक विचार करते है यह अन्तर खरा नही ठहरता।
2. बाल–अपराधी स्वभाव से चंचल होता है, उसका कोमल एवं अपरिपक्व मस्तिष्क अपराध की गम्भीरता को पूरी तरह से नही समझ पाता, जबकि पूर्ण अपराधी अपराध के परिणामों को अच्छी तरह से समझते है।
3. बाल–अपराधी को सुधाराना सरल एवं संम्भव होता है। प्रायः बच्चे भूलवश, चंचलता के कारण या बुरी संगति मे पड़कर कोई अपराध करते है, जिसे सुधाराना सम्भव होता है बच्चे के कोमल मस्तिष्क को सही दिशा में मोड़ना सरल होता है। बच्चे को प्रेरित करके, भय दिखाकर या पुरस्कार देकर सुधारने का प्रयास किया जाता है, परन्तु प्रौढ़ अपराधी मे सुधार की सम्भावना कम होती है।
4. बाल–अपराधी मे अपराध के कारणों को खोजना सरल होता है, क्योकिं वह अभयस्त अपराधी नही होता, वरन जाने–अंजाने अपराधी कार्य कर वैठता है। परन्तु युवा अपराधी मे अपराध के कारणों का पता लगाना अपेक्षाकृत कठिन होता है, क्योकि उसके पीछे लम्बा इतिहास होता है।
5. बाल–अपराधी का व्यक्तित्व अधिक जटिल नही होता। वह अनुभवों से दूर रहता है और सत्य मे समीप रहता है। जबकि युवा अपराधियों का अधिक जटिल होता है और उसमें अनुभवों का सम्मिश्रण होता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह सत्य से दूर चला जाता है।

बाल अपराधी के लक्षण :– बाल–अपराध एक मनोभावनात्मक व्यवहारिक विचलन है। बालक की मनोभावनायें ही उसे अपराधी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, अतः अपराध एक मानसिक और शारीरिक क्रिया है। बालको वृत्ति और व्यवहार के द्वारा उन्हें पहचाना जा सकता है। बाल अपराधियों के कुछ लक्षण :–

1. बाल अपराध की शारीरिक संरचना सामान्य, गठीला शरीर, शक्तिशाली तथा निडर होते है।
2. बाल–अपराधी प्रायः सामान्य बालकों की अपेक्षा मनोस्नायु विकृत से पिडित होते है।
3. बाल–अपराधियों में इदंम (id), अहम (ego) तथा पराहम् (Super & ego) मे समुचित सन्तुलन का अभाव होता है।
4. ये शासन सत्ता के विरोधी, नियम कानून का उल्लघंन करने वाले तथा अविश्वासी प्रवृत्ति के होते है।
5. ये अपनी किसी समस्या को सुलझाने के लिए सुनियोजित रूप से किसी कार्ययोजना का पूर्वनिर्धारण नही करते है।
6. अदूरदर्शी तथा अपराध के परिणाम से अनभिज्ञ रहते है।
7. ये प्रायः विषादग्रस्त, निराश, हताश और गुमशुम दिखाई देते है।
8. ये स्वभाव से वेचैन, उग्र, वहिर्मुखी तथा विघटनकारी होते है। बालक का स्वभाव असमान्य होते है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 5, May - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

9. बल–अपराध का मुख्य कारण गरीबी भी है।
10. बालकों में चिड़चिड़ापन गरीबी, इच्छाओं की पूर्ति न होना भी बाल–अपराध को जन्म देती है।
11. बालकों मे चंचलता तथा स्वाभाव से असमान्य होते है। जिससे की उनके अपराध की भावना जाग्रत होती है।
12. बाल–अपराधिओं का अनुपात ग्रामीण अपराधियों की तुलना मे बहुत कम है। अपराध की दर निम्नतम सामाजिक–अर्थिक समूहों में सबसे अधिक है।

बाल–अपराध की विशेशताऐं :–

1. यह प्रायः राजकीय नियमों एवं कानून का उल्लघंन करते है।
2. इनकी संगति आवारा, अनैतिक एवं अशोभनीय होता है।
3. बाल अपराधी आदतन उद्दण्ड तथा आज्ञाओं का उल्लघंन करने वाले होते है।
4. कानूनी रूप से निषिद्ध स्थानों पर घूमने अवश्य जाते है।
5. ऐसे बालक स्टेशनों, मेलो एवं तीर्थस्थानों पर भीख मांगते हुए प्रायः दिखाई पड़ते है।
6. ये तस्करी आदि गैरकानूनी धन्धों मे लिप्त रहते है।
7. इनमें स्कूल एवं घर भागने की आदत होती है।
8. ऐसे बालक समाज मे सम्मानित स्थान पाने को बडे उत्सुक रहते है। समाज मे अपना स्थान पाने के लिए नीच से नीच कार्य करने से नही चूकते।
9. स्कूल के प्रति उसमें विशेष अरूची होती है।
10. स्कूल के प्रतिबन्धों और दिनचर्या का विरोध करता है।
11. बाल–अपराधी की शैक्षिक क्षमता सीमित होती है।
12. कक्षा में इनका व्यवहार आवेशपूर्ण होता है।
13. यह बिना आज्ञा के निरूद्देश्य देर रात तक घर से बाहर घूमते रहते है।
14. कानूनी रूप से निषिद्ध स्थानों पर घूमने अवश्य जाते है।

परन्तु बाल–अपराध की उपर्युक्त सभी विशेषताओं का सामान्यीकरण नही किया जा सकता। उपर्युक्त विशेषतायें सभी बाल–अपराधियों मे पायी जाती हों ऐसी बात नही है। ऐसे बालक स्वाभाव से शान्त, सौम्य, शिष्ट एवं पढ़ने–लिखने बाले होते है, परन्तु अवसर पाते ही किसी न किसी प्रकार का यौन अपराध करने मे नही चूकते।

विद्यालयों तथा स्कूलों मे कुछ ऐसे भी बाल–अपराधी देखे जाते है, जो चाकू, छुरा, कट्टा, पिस्तौल आदि चलाने से नही चूकते, परन्तु व्यवहार मे बड़े शिष्ट दिखाई देते है। लड़कियों को छेड़ना और छीटाकसी करना बुरा मानते हैं। चोरी, ठगी करना, झूठ बोलना पाप समझते है तोड़–फोड़ करना बुरा मानते है। उन्हें देखकर यह कहना सम्भव नही होता कि वे बाल–अपराधी भी होगें। इस प्रकार बाल–अपराधियों की विशेषताओं का निर्धारण करना आसान नही है। क्योकि कोई भी बाल–अपराधी जन्मजात नही होता। इसके पीछे बहुत सारी समस्याएं अथवा कारण छिपे होते है। तभी एक बालक के जीवन में अपराधी का नाम जुड़ जाता है। अतः किसी भी बाल–अपराधी के बन्ने के पीछे दिये कारणों का पता लगाना आवश्यक है।

बाल–अपराध के कारण :– समाज मे सभी प्रवृत्ति के लोग पाये जाते है। प्रायः समाज मे बाल–अपराधी और अपराधी प्रवृत्ति के लोग पाये जाते है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः अपराधों को रोकना आवश्यक है अपराध को रोकने के लिए उसके कारणों का पता लगाना आवश्यक है। रवीन्द्रनाथ टैगोर का कथन है कि ''जिस बुराई का कारण हम जानते है वह आधी दूर हो

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 5, May - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

जाती है'' सत्य प्रतीत होता है। सार रूप मे यह कहा जा सकता है कि बाल–अपराध अनेक कारणों का समुच्य है स्थान, स्थित और व्यक्ति की प्रवृत्ति के अनुरूप यह कारक अपना प्रभाव दिखाते है यहॉ हम बाल–अपराधों के कारणों का उल्लेख करेंगें :–

पारिवारिक कारक :–

1. यग्न परिवार
2. अनैतिक अर्थिक स्थित
3. उपेक्षित व्यवहार
4. इषित अनुशासन
5. निर्योग्य माता–पिता
6. अत्यधिक भीड़–भाड़
7. माता एवं बच्चों का नौकरी करना

विद्यायलयी कारक :–

1. विद्यालय का भौतिक वातावरण
2. दूषित पाठ्यक्रम
3. अनुशासन
4. शिक्षकों का दुर्व्यवहार
5. मनोरंजन के उपयुक्त साधन न होना
6. विद्यालय का राजनैतिक वातावरण
7. छात्रावासों मे अपराधी प्रवृत्ति के बालक

सामाजिक कारक :–

1. समाज का दूषित वातावरण
2. आर्थिक असमानता
3. बेरोजगारी
4. गन्दी बस्तियां
5. बुरी संगत
6. अपराधी क्षेत्र
7. सामाजिक विघटन
8. यौन दुर्व्यवहार
9. युद्व

आर्थिक कारक :–

1. निर्धनता
2. भुखमरी
3. बच्चों का नौकरी करना
4. पारिवारिक संघर्ष
5. बेरोजगारी
6. आवश्यकताओं का पूरा न होना

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 5, May - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

मनोरंजन सम्बन्धि कारक :–

1. सिनेमा
2. दूरदर्शन (टी0वी0)
3. अश्लील साहित्य
4. समाचार पत्र पत्रिकायें
5. मनोरजंन के साधनों मे कमी

दोशपूर्ण नियंत्रण :–

(क)– व्यक्तिगत और सामाजिक नियंत्रणों की असफलता–

1. नैतिक स्तरों और आन्तरिक नियत्रणों की शिथिलता।
2. प्राथमिक और द्वैतीयक समूहों के नियत्रंण का दूर जाना।
3. नियंत्रण टूटने की अन्तर्निहित प्रक्रियायें।

(ख)– कानून पालन की शिथिलतायें–

1. कानून पालन के प्रति समुदाय का दृष्टिकोण।
2. बाल–अपराधी परम्परा की शक्ति।
3. आकस्मिकता और इसका कानून पालन पर प्रभाव।

(ग)– कानून पालन और सुधार विधियों की कुशलता–

1. दोषपूर्ण और प्रभावहीन कर्मचारी।
2. दोषपूर्ण विधियां और साधन।

बाल–अपराध के उपचार :– बाल–अपराधी प्रवृत्ति का निरोध करने के लिए दो पक्षों पर ध्यान देना होता है। प्रथम बाल–अपचारियों का उपचार। दूसरा बाल–अपचार को रोकना (Prevention) बाल–अपचार को रोकने के लिए पारिवारिक, शैक्षिक एवं सामाजिक गतिविधियों को संगठित रूप से प्रयास करना होगा, जिससे भविष्य मे बच्चे बाल–अपचारी न बनें। बाल–अपचारियों का उपचार करने के लिए मनौविज्ञानिक प्रविधियों, मनोचिकित्सा एवं मनोविश्लेषणात्मक प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए। यहॉ उन प्रविधियों को प्रस्तुत किया जा रहा है।–

(क)– मनोवैज्ञानिक प्रविधि–

1. वातावरणीय उपचार
2. पुनः शिक्षा
3. अनिर्देशित विधि
4. सुझाव और परामर्श
5. प्रोत्साहन

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 5, May - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

(ख)– मनोविश्लेषणात्मक प्रविधि

(ग)– मनोचिकित्सा प्रविधि

बाल–अपराध की रोकथाम :– बाल–अपराध को रोकने के लिए वर्तमान मे दो प्रकार के उपाय किये गये है। प्रथम उनके लिए नए कानूनों का निर्माण किया गया है द्वितीय सुधार संस्थाओं एवं स्कूलों का निर्माण किया गया है। जैसे उन्हें रखने की सुविधाएं है यहां हम दोनो प्रकार के उपायों का उल्लेख करेगें।

कानूनी उपाय :– बाल–अपराधियों को विशेष सुविधा देने और न्याय की उचित प्रणाली अपनाने के लिए बाल अधिनियम और सुधारालय अधिनियम बनाये गये है। भारत मे बच्चों की सुरक्षा के लिए 20वीं सदी की दूसरी शताबदी मे कई कानून बने सन् 1860 मे भारतीय दण्ड संहिता के भाग 399 व 562 मे बाल अपराधियों को जेल के स्थान पर रिफोमेट्रीज मे भेजने का प्रावधान यिका गया। दण्ड विधान के इतिहास मे पहली बार यह स्वीकार किया कि बच्चों की दण्ड देने के बजाए उनमें सुधार किया जाए एवं उन्हें युवा अपराधियों से पृथक रखा जाए।

निश्कर्श :– बाल अपराध एक मानसिक विकृत होती है और खाली दिमाग मे शैतान रहता है। खाली समय मे मनोरजंन के साधन बालको को सुलभ नही होते है, तो वे अपने को गलत कार्यो मे फंसा लेते है। कुछ तो अपराधी बन जाते है तथा कुछ को यह समाज अपराधी बना देता है। अधिकतर अपराध धोखे मे हो जाते है या आक्रोश मे कर दिये जाते है बाल अपराधियों को बुरी नजर से देखने के बजाय उन पर सुधारात्मक प्रक्रिया की जानी चाहिए। मनोवैज्ञानिक प्रयोग यह सिद्ध कर चुके है कि माहौल **वातावरण** द्वारा अपराधी की प्रवृत्ति को बदला जा सकता है ऐसा प्रयोग तिहाड़ जेल मे किरण बेदी के द्वारा किया गया था, जिसके कई सकारात्मक प्रभाव सामने आये। कैदियों द्वारा बनायी गयी चीजों को प्रोत्साहन दिया गया और उसका उपयोग अन्य उचित कार्यो मे किया गया। इसलिए बाल अपराधियों रोकने के लिए अपराधी से नही लड़ा जाये बल्कि अपराध की परिस्थिति व अपराधी की मनोवृत्ति पर विशेष ध्यान दिया जाये तभी समाज मे बाल अपराध और अपराधी के बीच दूरी बनायी जा सकती है। इस प्रकार बाल अपराधियों को सुधारने, बाल–अपचारों को रोकने तथा अपचारियों की प्रवृत्तियों का शोधन कर उनमें समयोजन की भावना उत्पन्न करने मे शिक्षा संस्थानों की अहम भूमिका रचनात्मक होती है। बालक ही समाज का भविष्य है। बालको को अपराध से दूर रखा जाये तभी **राश्ट्र** का विकास होगा। आज का बालक कल का नागरिक है। बालक को अपराध से दूर रखकर उसका बचपन सुधारा जाय यदि बालक का विकास भली भांति **अच्छे** होगा तभी एक दृढ़ **राश्ट्र** की नींव रखी जायगी और एक सफल **राश्ट्र** बनेगा। बालक के हित मे ही समाज का हित है।

सन्दर्भ :–

1. विशिष्ट बालक – डा0 एल0वी0 बाजपेयी, डा0 अमिता बाजपेयी।
2. भारत की सामाजिक समस्याएं – एन0एन0 ओझा।
3. अपराध, अपराधी और अपराधशास्त्र – जी0सी0 हेलन।
4. परिपूर्णानन्द वर्मा – अपराध, अपराधी और अभियुक्त।
5. अवनीन्द्र कुमार विघालकार –''बाल–अपराध के मूल कारण'', नवयुग।
6. अमर उजाला 15 अगस्त 2016।
7. हिन्दुस्तान 22 फरवरी 2016।